

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./318/2023/426

दिनांक:- 4/8/2023

**-: शुद्धिकरण :-**

निदेशालय के आदेश क्रमांक 323 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा श्रीमती पुष्पा वर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसमें कार्मिका के असाधारण अवकाश कि अवधि 15.07.2023 से 31.03.2023 के स्थान पर 15.07.2023 से 31.03.2024 पढ़ा जावे।

शेष यथावत्।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./318/2023/426

दिनांक:- 4/8/2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, परिक्षेत्र-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
4. श्रीमती पुष्पा वर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताको द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय का प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. रक्षित/आदेश प्रत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर